ादेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं. 115/2014	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
संजय कुमार सिंह, पिता–श्री शिवजी सिंह, ग्राम–नेथुआ, थाना–मढ़ौरा, जिला–सारण
आदेश

6/1/2015

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2175/गो0 26.5.14 के द्वारा आवेदक संजय कुमार सिंह, पिता–श्री शिवजी सिंह, ग्राम–नेथुआ, थाना–मढ़ौरा जिला–सारण का एक एन.पी.बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 12787/2013 से संबंधित है।

दिनांक 6.1.15 को आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे वर्त्तमान में विगत आठ वर्षों से ग्राम पंचायतराज सलीमापुर के मुखिया हैं। पूर्व में उनके बड़े भाई स्व0 अजय कुमार सिंह की हत्या हो चुकी है एवं इनको भी कई बार नक्सलियों से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में उन्हें अंगरक्षक एवं हाउस गार्ड मुहैया कराया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया है। इन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों एवं नक्सलियों से हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा आगे बताया गया कि इनके विरोधियों के द्वारा मढ़ौरा थाना कांड सं0 177/10 विधानसभा चुनाव 2010 से संबंधित है, जिसमें पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के उपरान्त उनके विरूद्व लगे आरोपों को असत्य पाया गया है। उनके विरूद्व दर्ज मढ़ौरा थाना कांड

सं0 247/11 भी उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा आवेदन देकर उन्हें गलत ढँग से फंसाने के लिए दाखिल करवाया गया है, जो मनरेगा कार्यक्रम से संबंधित है। मढ़ौरा थाना कांड सं0 135/13 के संबंध में कहना है कि दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में स्थानीय मुखिया होने के नाते इनके द्वारा पंचायती की गयी थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दुर्भावना से ग्रस्त होकर द्वितीय पक्ष के विरूद्व झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें उनका नाम भी डाल दिया गया है। इस वाद में पुलिस के द्वारा अभी तक पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, मढ़ौरा के ज्ञापांक डीआर 957 दिनांक 22.5.14, अंचलाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 781 ।दिनांक 16.8.12, अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 221 दिनांक 31.1.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2175/गो0 दिनांक 26.5.14 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के विरूद्व मढ़ौरा थाना अभिलेख में तीन प्राथमिकी दर्ज है:

1. मढ़ौरा थाना कांड सं0 177/10 दिनांक 29.10.10 धारा–341/323/325/308/379/34 भादवि में आरोपत्रित।
2. मढ़ौरा थाना कांड सं0 247/11 दिनांक 17.10.11 धारा–467/468/461/406/409/420 भादवि में आरोपत्रित।
3. मढ़ौरा थाना कांड सं0 135/13 दिनांक 25.5.13 धारा–341/323/324/337/338/354/448/380/504/34 भादवि लंबित।

आवेदक के द्वारा दिए गए बयान, उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलील एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्व स्थानीय थाना में तीन प्राथमिकी दर्ज है, जिनका अभी तक अंतिम रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा

निष्पादन नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा भी उक्त मामलों के निष्पादन से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करना विधि–सम्मत् प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को निर्देश है कि उक्त मामलों का माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से निष्पादन के पश्चात् पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि के साथ आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् इस मामले में यथोचित आदेश पारित किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 11/मुक /न्यायालय, दिनांक 14.1.15

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला शस्त्र उपाधिकारी, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

14/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

14/1/15